

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डार  
सरकार बनाम पुष्पाकंवर

कि.मु. :-136 एल.आर.एक्ट

मु.न. .... 33/2025

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामीर में  
जारी हुए

23.05.2025

प्रार्थी अनूप कंवर उर्फ पुष्पा कंवर पत्नि सुरेन्द्र सिंह निवासी कटार हाल निवासी 1888 पनिया कुमावारा झूझून ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 319 खसरा नम्बर 393/3 रकबा 10 बीघा वांके ग्राम कटार की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम अनूप कंवर उर्फ पुष्पा कंवर गजट नोटिफिकेशन अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की तहसीलदार खण्डार से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार खण्डार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 319 सम्बत 2078-2081 में प्रार्थी का नाम अनूपकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 अंकित है। उक्त नाम को प्रार्थीया अनूपकंवर उर्फ पुष्पाकंवर करवाना चाहती है। प्रार्थी की जांच दस्तावेजों के अनुसार पुष्पाकंवर के नाम से आधार कार्ड है। प्रार्थीया के पति द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर लिखा है दोनो ही नाम एक ही महिला के है। अतः प्रार्थीया दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अनूपकंवर के बजाय अनूपकंवर उर्फ पुष्पाकंवर किया जाना उचित होगा।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का ग्राम कटार की जमाबन्दी सम्बत 2078-2081 के खाता संख्या 319 के खसरा नम्बर 393/3 रकबा 10 बीघा भूमि में अनूपकंवर के स्थान पर पुष्पाकंवर नाम शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कटार के खसरा नम्बर 393/3 रकबा 10 बीघा भूमि में अनूपकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह के स्थान पर पुष्पाकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार खण्डार को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दफतर दाखिल हों।

उपखण्ड अधिकारी  
खण्डार (सवाई माधोपुर)